(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 43 / 2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 16.07.2024 निर्णय दिनांक : 04.10.2024

1. अनिल सिंह पुत्र स्व0 तेजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी चौबारा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़। – **अप्रार्थीगण**

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष उनवानी वाद अनिल सिंह बनाम तहसीलदार नीमराना मुकदमा संख्या 18 / 2020 को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. वकील प्रार्थी श्री अंकित स्वामी उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक–04.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ के समक्ष प्रकरण बउनवानी अनिल सिंह बनाम तहसीलदार नीमराना विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने अपनी व्यक्तिगत विषम परिस्थितियां जाहिर करते हुए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया।
4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 25.04.2024 को लिखित बहस प्रस्तुत कर दी थी व दिनांक 27.02.2024 को उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार नीमराना भूमाफियों से मिलकर वादी के उक्त वाद को खारिज करने पर उतारू है। भूमाफियाओं द्वारा ऐलानियां धमकी देने से वादी / प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि वादी / प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही होगा। भूमाफियों द्वारा तहसीलदार नीमराना को प्रभाव में लेने के कारण एवं उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण तथा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानांतरित नही किया गया तो वादी के वाद को खारिज कर दिया जावेगा। इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को न्याय नहीं मिलने का अंदेशा है तथा इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधि के न्यायिक सिद्धान्तो के विपरित है जिससे उपखण्ड अधिकारी नीमराना की कार्यकुशलता बिल्कुल स्पष्ट व साफ जाहिर होती है कि प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराना के राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किये जाने हेतु निवेदन किया।
5. वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
6. वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में

दिनांक 25.04.2024 को वादी वकील की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 27.02.2024 की मौका रिपोर्ट जो उपखण्ड अधिकारी नीमराना के द्वारा जारी नकल से प्राप्त होना बखूबी साबित होता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में तहसीलदार नीमराना से मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेशिका 25.06.2024 में अंकित होने से प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा न्याय के विधिक सिद्धान्तों के विपरित होना साबित होता है, तथा प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नीमराना के द्वारा बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई लेकिन उचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बिन्दूवार टिप्पणी नही भिजवाने के कारण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन भी नही हो पाया। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए तथा प्रकरण का निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु प्रार्थी द्वारा पेश किया गया मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण अनिल कुमार बनाम तहसीलदार नीमराना मुकदमा संख्या 18/2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को शीघ्र मूल पत्रावली प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त उनवानी प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। उभयपक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष दिनांक 22.10.2024 को उपस्थित होवें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना/बहरोड़ को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड